उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 11 | 1-15 जून 2022 | ₹ 20/-

भारतीय मुसलमानों में नेतृत्व के लिए खींचतान

- वाराणसी धमाका केस में वलीउल्लाह को मौत की सजा
- पाकिस्तान में विभाजन का खतरा
- दो वर्ष के बाद विदेशी हज यात्री सऊदी अरब में
- उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए कानून

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

भारतीय मुसलमानों में नेतृत्व के लिए खींचतान 04
संघ प्रमुख द्वारा नया आंदोलन न करने की घोषणा 07
वाराणसी धमाका केस में वलीउल्लाह को मौत की सजा 14
सिविल सेवा परीक्षा में चयनित मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में कमी 15
मौलाना महमूद मदनी की धमकी 18

विश्व

पाकिस्तान में विभाजन का खतरा 22
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके बेटे की गिरफ्तारी की संभावना 23
बोरिस जॉनसन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रद्द 24
तालिबान को आईएसआईएस से सबसे बड़ा खतरा 25
जिहादियों द्वारा गिरजाघर पर हमला 26

पश्चिम एशिया

दो वर्ष के बाद विदेशी हज यात्री सऊदी अरब में 27
संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और जॉर्डन के बीच औद्योगिक भागीदारी 28
तुर्की का नाम तुर्किये करने की अनुमति 29
ईरान के गुप्तचर संगठन के प्रमुख की रहस्यमयी मौत 31
मुसलमान सिर्फ एक विवाह करें 32

अन्य

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए कानून 33
तूफान से जामा मस्जिद को क्षति 33
ओसामा बिन लादेन का कार्यालय में चित्र लगाने वाला अधिकारी निलंबित 34
श्रीलंका के मुसलमान हज नहीं करेंगे 34
आर्य समाज का विवाह प्रमाणपत्र गैरकानूनी 34

सारांश

गत दो दशक से देश के मुसलमान इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं में मुसलमान उम्मीदवार अधिक से अधिक हिस्सेदारी पा सकें। इस लक्ष्य से विभिन्न मुस्लिम संगठन मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनेक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, जिनमें मुस्लिम छात्र एवं छात्राओं के भोजन, आवास और पुस्तकों की मुफ्त व्यवस्था की जाती है। सेवानिवृत्त होने वाले मुस्लिम उच्चाधिकारी उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। मोदी सरकार ने भी 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' योजना के तहत इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को एक-एक लाख रुपये विशेष सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की हुई है, मगर इसके बावजूद इस वर्ष के परीक्षाफल मुस्लिम समाज के लिए निराशाजनक रहे हैं। गत एक दशक में इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों में से मुसलमानों की संख्या सबसे कम रही है।

आम तौर पर मुस्लिम नेताओं में जमीयत उलेमा (महमूद मदनी गुट) के अध्यक्ष महमूद मदनी को सुलझा हुआ नेता माना जाता है, मगर इस बार देवबंद में जमीयत उलेमा का जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें उनके तेवर काफी तीखे थे। उन्होंने यहां तक धमकी दे डाली कि जो लोग मुसलमानों और इस्लाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, वे भारत छोड़कर किसी अन्य देश में चले जाएं। इस सम्मेलन में कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें शिकायत की गई कि सत्तारूढ़ दल अपने तयशुदा एजेंडे के अनुसार देश के मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता को लादने की साजिश रच रहा है। ये प्रयास भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का खुला उल्लंघन है। प्रस्ताव में यह दावा किया गया कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ कुरान और हदीस के अभिन्न अंग हैं, जो कि अल्लाह ने मुसलमानों को प्रदान किए हैं। इसलिए दुनिया की किसी भी ताकत को इन्हें छीनने की इजाजत कदापि नहीं दी जा सकती। जमीयत उलेमा की राजनीति में एक नया मोड़ यह आया है कि एक दशक के बाद चाचा-भतीजा (अरशद-महमूद) आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने की तैयारी कर रह हैं। इस अधिवेशन में महमूद के घोर विरोधी और उनके चाचा अरशद मदनी ने पहली बार महमूद मदनी के नेतृत्व वाली जमीयत उलेमा के अधिवेशन में भाग लिया और एकता के प्रयासों की पुष्टि की। रोचक बात यह है कि मदनी परिवार हालांकि सैकड़ों वर्षों से भारत में रह रहा है, मगर वे आज भी अपनी पुरानी पहचान बनाए हुए हैं कि उनका खानदान मदीना का मूल निवासी है। यही कारण है कि वे अपने नाम के साथ मदनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

इन दिनों भारतीय मुसलमानों के नेतृत्व को पाने के लिए विभिन्न मुस्लिम संगठनों में होड़ लगी हुई है। इस समय इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओवैसी बंधु, जमीयत उलेमा के मदनी गुट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के बीच होड़ चल रही है। मुसलमानों में व्याप्त आक्रोश का ये संगठन लाभ उठाना चाहते हैं। अब इस होड़ में एक पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब भी शामिल हो गए हैं। मोहम्मद अदीब शुरू से ही विवादित हस्ती रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मुसलमानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया था, जिसमें 600 के लगभग मुस्लिम नेताओं के भाग लेने का दावा किया गया था। अजीब बात यह है कि अदीब ने यह दावा किया था कि इस सम्मेलन में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को आमंत्रण नहीं दी गई है, मगर उसमें भाग लेने वाले सभी राजनीतिक नेता ही थे। इसके नेताओं की आपसी खींचतान उस समय खुलकर आ गई जब मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा जेल भरो आंदोलन की योजना को इस सम्मेलन में ठुकरा दिया गया।

राष्ट्रीय

भारतीय मुसलमानों में नेतृत्व के लिए खींचतान

मुसलमानों के अधिकारों के लिए सरकार से कैसे टक्कर ली जाए इसके लिए मुसलमानों की विभिन्न संस्थाओं में भारी मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। इन दिनों मुसलमानों में सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है उसका लाभ उठाने के लिए अनेक मुस्लिम नेता मैदान में कूद पड़े हैं। हाल ही में जमीयत उलेमा, मजलिस-ए-मुशावरत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, बरेली की दरगाह-ए-आला हजरत आदि अनेक संगठनों ने गत दो सप्ताह में अलग-अलग बैठकों का आयोजन किया है। ये संगठन अभी तक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए।

इंकलाब (30 मई) के अनुसार पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन बुलाया। उन्होंने यह दावा किया कि इस सम्मेलन में 650 से अधिक लोग, जिनका संबंध समाज के विभिन्न वर्गों से था, इकट्ठे हुए। ये लोग 21 राज्यों से अपने खर्च पर दिल्ली आए थे। इस बैठक में यह फैसला किया गया कि मुसलमानों को उनका उचित अधिकार दिलाने के लिए एक गैर राजनीतिक संगठन स्थापित किया जाए, जिसमें पूर्व मंत्री, सांसद, नौकरशाह, न्यायाधीश आदि रहनुमा शामिल हों। अदीब ने यूट्यूब चैनल 'न्यूज एम.एक्स. टीवी' को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि सरकार द्वारा गत कई वर्षों से मुसलमानों को इतना भयभीत कर दिया गया है कि वे सांप्रदायिक पार्टियों द्वारा उनके उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि सच यह है कि आज देश में हमारा मजहब और संस्कृति सुरक्षित नहीं है। सरकार का मुकाबला करने के लिए एक बड़ा संगठन बनाया जा रहा है, जिसमें एक लीगल सेल, सशक्त सोशल मीडिया सेल और मीडिया शामिल होगा, जो देश में मुसलमानों को उनके

संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए जो सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है उसका सफलतापूर्वक सामना करेगा।

उन्होंने कहा कि गत कुछ वर्षों से सरकार द्वारा मुसलमानों के उत्पीड़न, उनके धर्म में हस्तक्षेप के साथ-साथ उनके खिलाफ जो बुलडोजर अभियान चल रहा है उसे सहन नहीं किया जा सकता। हमारा प्रयास यह है कि हम दश के सभी भागों में इस अभियान के खिलाफ सशक्त आवाज उठाएं। इस संदर्भ में शीघ्र ही भावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी।

रोजनामा सहारा (30 मई) के अनुसार दिल्ली के ऐवान-ए-गालिब इंस्टीट्यूट में 'इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मीट' का आयोजन किया गया था। इसके आयोजक मोहम्मद अदीब का यह दावा है कि इसमें भाग लेने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को निमंत्रण नहीं दिया गया था। जिन लोगों को इसमें बुलाया गया था उन्हें व्यक्तिगत हैसियत के रूप में बुलाया गया था। इस बैठक में शामिल हुए विभिन्न मुस्लिम नेताओं के आपसी मतभेद उस समय खुलकर सामने आ गए जब इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और बरेलवी संप्रदाय के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने इस बात पर जोर दिया कि देश के मुसलमानों को सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू करना चाहिए और इस आंदोलन में कम-से-कम एक लाख मुसलमानों को भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जिस तरह से जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है उसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से गत दिनों जा जेल भरो आंदोलन चलाने की घोषणा की गई थी, उसमें हिस्सा लेने के लिए 20 हजार मुसलमान मैदान में आए थे। जरूरत इस बात की है कि इसका विस्तार किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस आंदोलन के बारे में आज ही इस बैठक में घोषणा की जानी चाहिए, मगर उनके

जोर देने के बावजूद इस बैठक में जेल भरो आंदोलन शुरू करने की घोषणा नहीं की जा सकी।

इंकलाब (30 मई) के अनुसार जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज जो लोग यहां जमा हुए हैं, उन्हें सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि देश की चिंता है। उन्होंने कहा कि हम एकजुट नहीं हैं, क्योंकि हमारे बीच सरकारी मुखबिर घुसे हुए हैं, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी भी शासक से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरता है। यह बात आज के शासकों को समझ लेनी चाहिए। उन्हांने कहा मुसलमानों घबराओ मत! इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी हम हिम्मत, सब्र और एकजुट होकर लड़े हैं, हमेशा हमारी जीत हुई है। लोक सभा के सदस्य कुंवर दानिश अली ने कहा कि मुल्क व मिल्लत का दर्द रखने वाले आज जो लोग जमा हुए हैं वह समय की मांग है। जिस तरह से सरकार झूठे आरोपों में मुसलमानों को अंधाधुंध जेलों में भर रही है और मुस्लिम नेताओं और पत्रकारों को झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे हालात में ऐसे लोगों की जरूरत है जो कौम को एकजुट कर सकें और कानूनी ढांचा बनाकर सरकार के इरादों को विफल बना सकें। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने इतिहास का संदर्भ देते हुए कहा कि किसी भी मुसलमान शासक ने कभी कोई कत्लेआम नहीं किया। जितने भी कत्लेआम हुए वह गैर मुसलमान शासकों ने किए। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि आज हर मस्जिद में मंदिर निकल रहे हैं। हर जगह शिवलिंग बरामद हो रहे हैं। हिजाब का सवाल उठाकर हमारी महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। हमें अपनी लड़ाई हिम्मत से लड़नी होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर इस देश को बचाना है तो हमें आपसी भेदभाव को भूलकर एक गैर राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए, जो इस देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ सके। पूर्व मंत्री के. रहमान खान ने कहा कि मुस्लिम संगठन अभी तक मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। हमें अपने अभियान के साथ महिलाओं और युवकों को भी जोड़ना चाहिए। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा कि आज देश में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। मुसलमानों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि इस देश के 22 करोड़ मुसलमानों के साथ ऐलान-ए-जंग हो चुका है। हमें अपने अधिकारों के लिए अब लड़ना होगा। इस समय मुस्लिम कौम को लीडरशिप की जरूरत है। अगर हम चूक गए तो इतिहास से हमारा नामोनिशान मिट जाएगा। पूर्व सांसद डॉ. अजीज पाशा ने कहा कि हमलोग सबसे कठिन

दौर से गुजर रहे हैं। हमें चुप नहीं बैठना है और अपने अधिकार के लिए लड़ना है। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र संघ की नेता सफूरा जरगर ने कहा कि आज जेलों में मुसलमान सड़ रहे हैं। हमें उनके लिए लड़ना होगा। हम मुसलमान हैं और इस्लाम की शिक्षा के अनुसार ही अपना अगला कार्यक्रम तय करेंगे।

कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद अदीब ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है जो राजनीतिक नहीं होगी। मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ जो अभियान सरकार के इशारे पर चल रहा है उसके निराकरण के लिए भी हमें कदम उठाने होंगे। यह काम करने का वक्त है रूकने या ठहरने का नहीं। इस समय मुसलमानों को सामुहिक नेतृत्व की जरूरत है। इस अवसर पर पद्म श्री डॉ. सईदा सईदेन हमीद, पूर्व सांसद अली अनवर, जेड.ए. फैजान, फरीद शेख, उमर शरीफ, सदफ जाफरी, डॉ. मस्कूर उस्मानी, समिया रजा, जाहिद कादरी आदि ने भी इस बात की निंदा की कि सरकार हिजाब, अजान, दाढ़ी, टोपी और मस्जिदों को अपना निशाना बना रही है, जिसे मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

टिप्पणी: जहां तक मोहम्मद अदीब का संबंध है उनकी शख्सियत शुरू से ही विवादित रही है। अलोगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी वे अनेक विवादों में घिरे रहे थे। इसके बाद वे बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और राज्य सभा तक पहुंच गए। बाद में उन्होंने शिवपाल यादव का दामन थाम लिया। मजलिस-ए-मुशावरत से भी उन्होंने अपने तार जोड़ने की कोशिश की थी, मगर वे सफल नहीं हुए। गुड़गांव में जब सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने का आंदोलन चला तो इस आंदोलन में भी मोहम्मद अदीब ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था। इस संबंध में गुड़गांव पुलिस ने मोहम्मद अदीब के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया था। 2013 में जब नरेन्द्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो अदीब ने कुछ अन्य सांसदों की सहायता से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को एक पत्र लिखकर उनसे मांग की थी कि मोदी को अमेरिका में प्रवेश का वीजा न दिया जाए।

संघ प्रमुख द्वारा नया आंदोलन न करने की घोषणा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने भविष्य में किसी आंदोलन में शामिल न होने की जो घोषणा की है, उसका मुस्लिम संगठनों और उर्दू समाचारपत्रों ने स्वागत किया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (5 मई) के अनुसार देश भर में कई मस्जिदों पर खड़े किए गए विवाद और ज्ञानवापी मस्जिद में अदालती आदेश से कराए गए सर्वेक्षण तथा वजू खाने में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने यह बयान दिया है कि अब संघ की ओर से धार्मिक स्थलों से संबंधित कोई आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। मोहन भागवत संघ मुख्यालय में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि संघ ने अयोध्या से संबंधित राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन इसमें भागीदार बनना संघ की मूल प्रकृति के खिलाफ था। अब संघ भविष्य में किसी भी नए आंदोलन में भाग नहीं लेगा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 'इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। ज्ञानवापी एक मुद्दा है, लेकिन उसे हिंद्-मुस्लिम नजरों से देखना गलत है, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता तो बाहर से आए थे। इसलिए उन्होंने इस समस्या को पैदा किया। अब संघ सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहन देना चाहता है और हिंदुत्व की भावना

को जागृत करना चाहता है। इसलिए अब इस देश के विभिन्न वर्गों में संघर्ष नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनना चाहिए और पूरी दुनिया को अमन व शांति का संदेश देना चाहिए।' उन्होंने आरएसएस के स्वयंसेवकों को कहा कि 'हमें प्रत्येक मस्जिद में शिवलिंग तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आस्था के केंद्र हो सकते हैं, मगर हर जगह विवाद को क्यों बढ़ाया जाए। उन्होंने अपने उद्‌बोधन में रूस-यूक्रेन के युद्ध का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण किया है, लेकिन भारत का दृष्टिकोण इस संबंध में संतुलित है। इस युद्ध ने हिंदुस्तान को भी बता दिया है कि उसे मजबूत रहना जरूरी है। संघ प्रमुख ने हिंदू धर्म को मजबूत बनाने का भी उल्लेख करते हुए कहा कि हमें न तो किसी को डराना है और न ही किसी से डरना है, बल्कि मिलकर साथ-साथ रहना है और विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ना है।

इत्तेमाद (3 जून) के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ज्ञानवापी की समस्या चल रही है। हम इतिहास नहीं बदल सकते। न ही आज के हिंदुओं और न ही आज के मुसलमानों ने यह समस्या पैदा की है। यह सब कुछ उस समय हुआ जब इस्लाम आक्रांताओं के साथ यहां आया। इन आक्रांताओं ने हमारे देवस्थानों को अपना निशाना बनाया, ताकि इस देश की स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों के हौसलों को पस्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं सोचते। आज के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे। विदेशी और विधर्मी आक्रमणकारियों ने हिंदुओं के हौसलों को गिराने के लिए उनके धार्मिक स्थानों को ध्वस्त किया था और उन पर जबरन अपने उपासना स्थल बना दिए थे। अब हिंदुओं में यह भावना उत्पन्न हो गई है कि हम अपने पुराने स्थानों को पुनः प्राप्त करें और यह आपसी बातचीत से होना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो ये मामल अदालत में जाते हैं और ऐसी स्थिति में अदालतें जो भी निर्णय करें, उसका सभी को पालन करना चाहिए।

सालार (4 जून) के अनुसार मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर के पूर्व उपकुलपति एवं विख्यात मुस्लिम चिंतक प्रो. अखतरुल वासे ने

सरसंघचालक के बयान पर प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा है कि भारतीय मुसलमान शुरू से ही यह कहते आए हैं कि हम पुरानी बातों के लिए जिम्मेवार नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थपूर्ण लक्ष्य के कारण उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह प्रसन्नता की बात है कि संघ प्रमुख ने यह साफ कर दिया है कि आरएसएस बाबरी मस्जिद के बाद किसी भी मंदिर के विवाद में नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि सरसंघचालक के इस स्पष्ट बयान के बाद सत्ता में बैठ हुए लोग समझदारी से काम लेंगे, जो इस देश में पुनः मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा कर रहे हैं। ऐसे विवादों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर विश्वगुरु बनने के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए यह जरूरी है कि इस देश के सभी निवासी चाहे उनका धर्म कुछ भी हो एकजुट हों और सामाजिक सद्भावना पैदा करें। हमें पुराने अंधेरों से निकलकर प्रकाशमय भविष्य की ओर बढ़ना है और शरारत पसंदों पर लगाम लगाना है।

इत्तेमाद (4 जून) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर व्यंग्य किया है और कहा है कि संघ ने सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करते हुए बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने मं बढ़-चढ़कर भाग लिया था और यह कहते हुए अपनी हरकत को उचित ठहराया था कि ऐतिहासिक कारणों से ऐसा करना जरूरी हो गया था। आज प्रश्न यह है कि क्या आरएसएस ज्ञानवापी के मामले में भी यही रास्ता अपना रहा है। ओवैसी ने अपने ट्विट में कहा है कि जबरन धर्मांतरण एक बहुत बड़ा झूठ था और मोहन भागवत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि भारत में पैदा होने वाले सभी लोग भारतीय नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में मोहन भागवत के भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर उनका यह कहना सही है कि ऐतिहासिक कारणों से बाबरी मस्जिद के आंदोलन में संघ की भागीदारी

जरूरी थी तो इसका सीधा अर्थ यह है कि आरएसएस सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं करता। इसलिए इसने मस्जिद को ध्वस्त करने में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का यह कहना गलत है कि इस देश में इस्लाम आक्रांताओं द्वारा लाया गया था। जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम व्यापारियों, बुद्धिजीवियों और धर्मगुरुओं द्वारा पहले भारत में आया था।

हमारा समाज (4 जून) ने अपने संपादकीय में मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है और कहा है कि अब आरएसएस किसो मंदिर आंदोलन में भागीदार नहीं बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बारे में उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी के प्रति हमारी आस्था है और इस संबंध में कुछ करना उचित है, लेकिन प्रत्येक मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों हो रही है। हर रोज एक नई समस्या खड़ी नहीं करनी चाहिए। भारत को विश्व विजयी नहीं बनना है। बल्कि इसका लक्ष्य एक दूसरे को जोड़ना है। नागपुर में मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए ज्ञानवापी के बारे में कहा कि यह एक ऐतिहासिक समस्या है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे न तो आज के हिंदुओं ने बनाया है और न ही मुसलमानों ने। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के पूर्वजों को हिंदू करार देते हुए कहा कि हमने 9 नवंबर को ही यह स्पष्ट कर दिया था कि राम मंदिर आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसे हम सिद्धांतों के विरूद्ध इतिहास के दबाव के कारण शामिल हुए थे। अब यह मामला समाप्त हो गया है। हमें और किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना है।

देखा जाए तो मोहन भागवत का यह बयान संघ के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और इससे मुसलमानों की भी संतुष्टि होती है कि संघ अब देश में मस्जिदों के खिलाफ चलने वाले अभियान को पसंद नहीं करता, मगर यह भी तो हो सकता है कि यह बयान सिर्फ एक बयान हो। अगर इन आंदोलनों में संघ की प्रेरणा नहीं है तो अभी तक सरकार ने इन आंदोलन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जो हर दिन किसी न किसी मस्जिद का बहाना बनाकर उस मंदिर करार देते हैं। क्या सरकार को नहीं लगता कि इस तरह के धमकीपूर्ण बयानों से मुसलमानों की भावनाओं को कितनी चोट पहुंची है? क्या ऐसे बयानों से देश का वातावरण खराब नहीं होता और हिंदुओं तथा मुसलमानों में खाई नहीं बढ़ती? इससे पूर्व भी पिछले वर्ष जुलाई महीने में उन्होंने जो बयान दिया था उसे नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा। उन्होंने पहली बार यह कहा था कि मॉब लिंचिंग हिंदुत्व के खिलाफ है और जो मुसलमानों को इस देश को छोड़कर चले जाने को कहता है वह हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान सबका है, मगर न जाने इस बयान का क्यों लोगों पर असर नहीं हुआ। हालांकि मुसलमानों ने इसका स्वागत किया था। उन्होंने पहली बार मॉब लिंचिंग को स्वीकार किया था और भारतीय मुसलमानों के राष्ट्रभक्त होने की पुष्टि की थी। उन्होंने खुले शब्दों में कहा था कि मुसलमानों के वजूद के बगैर हिंदुस्तान का कोई वजूद नहीं है। जहां तक आरएसएस का संबंध है वह एक अनुशासित संगठन है, जिसके लाखों स्वयंसेवक हैं। संघ का प्रमुख जब कोई बात कहता है तो संघ का पूरा कैडर उसका अनुसरण करता है और उसके बयान का भाजपा पर भी असर पड़ता है। उनके इस ताजा बयान से यह आशा उत्पन्न होती है कि अब मुट्ठी भर शरारत पसंदों की गतिविधियों पर लगाम लगेगी।

अवधनामा (4 जून) ने अपने संपादकीय में मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है और कहा है कि इससे देश के मुसलमानों को भी संतुष्ट होना चाहिए, जो देश में विभिन्न मस्जिदों के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलनों से परेशान हैं। मगर प्रश्न यह है कि अगर संघ प्रमुख गंभीर हैं तो भाजपा द्वारा संचालित सरकारें उन लोगों के

खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं जो कि प्रत्येक दिन किसी न किसी मस्जिद को अपना निशाना बना रहे हैं? मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए यह जरूरी है कि ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ विभिन्न सरकारें सख्त कार्रवाई करें, जो मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थानों को अपना निशाना बना रहे हैं। जब तक सरकारें इस संदर्भ में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती तब तक हमारे लिए यह कहना कठिन है कि संघ प्रमुख ने यह बयान पूरी गंभीरता से दिया है।

सालार (6 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि आरएसएस और भाजपा देश के एक विशेष वर्ग के खिलाफ हमेशा जहर उगलता रहता है। उन्हें प्रत्येक मस्जिद के नीचे शिवलिंग नजर आता है और वे अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए मस्जिदों, खानकाहों, मजारों और अन्य इमारतों को गिराने की मांग करने लगे हैं। हद तो यह है कि भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगम्बर को भी अपना निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया है। इससे हिंदुस्तान का शांतिपूर्ण वातावरण अशांत हो गया है और लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को भारत के भविष्य की चिंता शुरू हो गई है। ऐसे हालात में संघ प्रमुख ने अतिवादी हिंदुओं को यह संदेश दिया है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं ह और आरएसएस अब किसी भी मंदिर आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा। नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित करके हालात को संभालने का जो प्रयास किया गया है, उसकी जितनी प्रसन्नता की जाए वह कम है। भाजपा के महासचिव अरूण सिंह ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनकी पार्टी किसी भो फिरके या धर्म की तौहीन करने के खिलाफ है और भाजपा ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर प्रोत्साहित नहीं करेगी, मगर सवाल यह है कि पार्टी के लोग पैगम्बर तक को अपना निशाना बनाने से बाज नहीं आते तो उनके खिलाफ पार्टी तुरंत क्यों कार्रवाई क्यों नहीं करती? वह मूकदर्शक क्यों बनी रहती है? वह 1991 के उस कानून का पालन क्यों नहीं करती। वर्तमान हालात में मोहन भागवत के बयान और गुस्ताख-ए-रसूल नूपुर शर्मा

को पार्टी से निलंबित करने को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा, ताकि देश में फैला हुआ तनाव दूर हो सके।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (7 जून) ने अपने संपादकीय में मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है और कहा है कि इससे पूर्व भी उन्होंने धर्म संसद के नाम पर कुछ तथाकथित धर्माचार्यों द्वारा आपत्तिजनक बयान देने की निंदा की थी। मोहन भागवत के इस बयान से यह आशा पैदा होती है कि ज्ञानवापी में पूजा अर्चना का अधिकार मांगने वाले और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने की मांग करने वाले अपनी शरारतपूर्ण हरकतों से बाज आएंगे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि संगठन आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह आशा की जा सकती है कि संघ प्रमुख के इस स्पष्ट बयान के बाद वे कोई मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा करके देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा नहीं करेंगे और न ही सामाजिक सदभावना को किसी तरह की चोट पहुंचाएंगे।

संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के उद्‌बोधन का सारांश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग समापन समारोह के अवसर पर संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि सब लोग एक ही भारत माता के पुत्र हैं। समान पूर्वजों के सब वंशज हैं और यही स्व-आधारित धर्म-संस्कृति सबको विरासत में मिली है। धर्म को पूजा, कर्मकांड, खान-पान और रीति-रिवाज से अलग करो, तो हमारा धर्म बचता है। बंधु-भाव, मानवता, वही भारत का स्व है। वही भारत का प्राचीन सनातन धर्म है, वही मानवता है। उसी को आज हिन्दू धर्म कहते हैं। हम सबको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि विविधताएं अपनी हैं, परन्तु वह अलगाव नहीं हैं। अभी ये प्रकरण निकल रहे हैं। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वह इतिहास हमने नहीं बनाया। न आज के अपने आपको हिन्दू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा। इस्लाम बाहर से आया, आक्रांताओं के साथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों के मनो-धैर्य को कम करने के लिए देव स्थान तोड़े गए। ऐसे हजारों स्थान हैं। हिन्दू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में है, ऐसे कुछ स्थान हैं। उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका क्या विचार करना? हिन्दू मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिन्दू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखन के लिए और उनका मनो-धैर्य दबाने के लिए यह किया गया। इसलिए हिन्दू को लगता है कि इसका पुनःउद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवम्बर को कह दिया कि एक श्री रामजन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति के अनुकूल सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन नहीं करना है। लेकिन विषय अगर मन में हैं तो कुछ उठते हैं। यह किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना भी नहीं चाहिए। मुसलमानों को नहीं मानना चाहिए, हिन्दुओं को भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है तो आपस में मिल-बैठ कर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें न्यायालय में जाते हैं। इसमें न्यायालय जो निर्णय देगा, उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय-व्यवस्था को पवित्र, सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना चाहिए। कुछ स्थानों के बारे में हमारी प्रतीकात्मक कुछ विशेष श्रद्धा थी, उन स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक

नया मामला निकालना, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है?

ज्ञानवापी के बार में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परम्परा से चलती आई हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है। परन्तु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? वह भी एक पूजा है। ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वे मुसलमान बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि प्जा उनकी उधर की है, उसमें वे रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं। सबकी मान्यता और सबके प्रतीक के प्रति पवित्रता की भावना है। परन्तु पूजा वहां की होने के बाद भी वे हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आ रहे ऋषि-मुनि, राजा क्षत्रियां के वंशज हैं। समान पूर्वजों के वंशज हैं। परम्परा हमको समान मिली है। शत्रु-मित्र भाव हमारे लिए समान है। देश के हर स्वातंत्र्य युद्ध में हिन्दुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं। वे यहां के मुसलमानों के लिए आदर्श हैं। इतिहासकाल से चलता आया ह। उनका सम्बन्ध यहां से है, बाहर से नहीं है। इसलिए उनको भी समझना चाहिए। भारत मातृभूमि है। भारत की संस्कृति, उसकी सर्वसमावेशकता, किसी को न बदलते हुए सबको अपना मानना। अपनी पूजा, अपनी जगह, अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सबकी पूजा सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है। किसी की बराई नहीं करना। मेरा ही सही, ऐसा कट्टरपन और अहंकार नहीं रखना और जनजीवन में सबके साथ बराबरी में आना।

ये मान्य था। इसलिए पाकिस्तान बना तो कुछ लोग चले गये। ये लोग नहीं गए। इसका अर्थ यही है न कि हमारी पूजा अलग हो गई, इसलिए हम भारत को छोड़ना चाहते हैं। ये हमको मंजूर नहीं। ऐसे ही सोचा होगा। उस भारत के साथ समरस होकर रहना। फिर से अलगाव का वही राग नहीं अलापना। पूजा अलग है, इसलिए अपने हित अलग हैं, ऐसा नहीं मानना। सम्पूर्ण हिन्दू समाज को भी यह समझना चाहिए कि यह हमारे ही पूर्वजों के वंशज, खून के रिश्ते से हमारे भाई, अगर ये वापस आना चाहते हैं तो हम दोनों हाथ खालकर उनका स्वागत करते हैं। नहीं भी आना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे यहां 33 करोड़ देवी-देवता हैं और बढ़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अपनी अपनी पूजा तो सब कर रहे हैं। सब लोग देशभक्त हों। हमारी संस्कृति की उदारता, सर्वसमावेशकता, सबको समान रूप से देखना, अपना मानना, अपने विकास से सबका विकास हो। अपना विकास कोई अलग और विशिष्ट नहीं है, सबके साथ है ये देखना। हमारे वही पूर्वज हैं, जिन्होंने हमको यह विरासत दी। उनके गौरव को मन में रखकर, उनके रहन-सहन का अनुकरण करते हुए आगे चलना। एकता का तो यही मार्ग है। हमारे संविधान की प्रस्तावना इसी का आदेश देती है। उसमें मार्गदर्शक तत्व हैं, वे यही बताते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए। समाज में एकता है तो एक-दूसरे की संवेदनाओं का सबको ध्यान रखना पड़ेगा। मन-कर्म-वचन में कोई अतिवादिता नहीं आनी चाहिए। दोनों तरफ से उल-जुलूल धमकियां देने वाली बातें होती हैं। हिन्दुओं की ओर से बहुत कम होती हैं। हिन्दुओं ने बहुत धैर्य रखा है। हिन्दुओं ने इस एकता के लिए बहुत ज्यादा कीमत भी चुकाई है। देश भी तोड़ दिया है। और फिर भी ऐसे स्वर उठते हैं और उधर से उसका विरोध कोई नहीं करता। इसलिए हमारे जैसे लोग बताते रहते हैं कि भाई सब अपने हैं। लेकिन हिन्दुओं के मन में एक प्रश्नचिन्ह रहता है। इसलिए अपने-अपने ऐसे अतिवादी लोगों को टोकना चाहिए, हिन्दुओं में टोकते हैं। हम भी कुछ बोल गए तो हमको भी टोकने वाले लोग हैं।

हिन्दू समाज किसी प्रकार का अतिवाद मान्य नहीं करता है। इसलिए हिन्दू समाज में सब लोग आए, यहूदी आए, पारसी आए। विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लडखड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। ये हिन्दू

के जीवन की परम्परा है। इसको समझकर हिन्दू भी अपना हिंदुत्व का आचरण ठीक करे। शक्ति सम्पन्न हो। जीतना नहीं है किसी को, लेकिन किसी की ओर से जीता भी नहीं जाना है। डराना नहीं है किसी को, लेकिन किसी से डरने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए। ऐसा हिंदू रहे और इन सबको गले लगाकर एक राष्ट्र जीवन के समृद्ध प्रवाह में सबको शामिल कर लें। इसके लिए जैसा शील चाहिए, जैसी शक्ति चाहिए, वैसी शक्ति सब में भरने का यह संघ का प्रयास है। यह देश की अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य आवश्यकता है। क्योंकि हम सबको भाषा, प्रांत, पंथ आदि की सारी विविधताओं को लेकर एक दूसरे से दूर करना, आपस में लड़ाना और उन झगड़ों की आग पर अपने स्वार्थ की रोटियों को सेकने का उद्योग करने वाले अभी भी कार्यरत हैं। दुनिया में भी हैं, देश में भी हैं। उनके चंगुल में किसी भी पकार के समझदार लोगों को नहीं फंसना चाहिए।

अभी लंबा चलना पड़ेगा। आज किसी ने बोला और कल बदल गया, ऐसा नहीं होगा। कठिन रास्ता है, उबड़-खाबड़ रास्ता है। लेकिन इसमें से जाना पड़ेगा। हम लोग भारत माता की जय करना चाहते हैं। हम लोग आपस में अपनत्व, भाईचारे पर विश्वास रखते हैं। हम लोग भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो हमको इस व्रत को आगे लेकर बढ़ना पड़ेगा। सामर्थ्य, सम्पन्न, संगठित हिन्दू समाज अपने हिन्दुत्व की सच्ची प्रवृत्ति के आधार पर देश में ही क्या सारी दुनिया के कलह, द्वेष, स्पर्धाएं बंद करके एक नई सुखी, सुंदर दुनिया बनाने की क्षमता रखता है। उस क्षमता का, उस गुणवत्ता का जागरण सारे देश में करने का ये संघ का प्रयास 1925 से चल रहा है। कार्यक्रम खंडित हो गए बार-बार, लेकिन कार्य कभी खंडित नहीं हुआ। एक-एक कदम आगे बढ़ रहा है। आज नहीं तो कल इसको हम यशस्वी कर पाएंगे। आज नहीं तो कल मैंने कहा, लेकिन अब जो दृश्य दिखता है... उसमें लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में संपूर्ण भारतवर्ष का समाज एक होकर, सारे भेद भूलकर, आपस के स्वार्थो को तिलांजलि देकर देश को बड़ा बनाकर दुनिया को सुखी बनाने के उद्योग में लगा है। यह दृश्य अपने कार्य की गति बढ़ाकर और यहां उपस्थित निर्मंत्रित बंधुओं का सहयोग उसमें होकर खड़ा हो सकता है, इतनी परिस्थिति की अनुकूलता आज खड़ी हुई है।

स्रोतः

https://www.rss.org/hindi//Encyc/2022/6/6/Tritiya-Varsh-Full-Speech.html

वाराणसी धमाका केस में वलीउल्लाह को मौत की सजा

रोजनामा सहारा (7 जून) के अनुसार 2006 में हुए वाराणसी बम धमाके के मुख्य आरोपी मोहम्मद वलीउल्लाह को गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने एक मामले में मौत और दूसरे में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला सोलह वर्ष बाद सुनाया गया है। इस धमाके में कम-से-कम 16 लोग मारे गए थे। संकट मोचन मंदिर में हुए बम धमाके के सिलसिले में उसे मौत की सजा सुनाई गई है। इस धमाके में सात व्यक्ति मारे गए थे और 26 जख्मी हो गए थे। इसके

साथ ही वलीउल्लाह को दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम के धमाके की साजिश रचने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और चार लाख जुर्माना भी सुनाया गया है। सीबीआई के अनुरोध पर इस मुकदमे को वाराणसी से गाजियाबाद स्थानांतरण किया गया था। वलीउल्लाह गत 16 वर्षों से डासना जेल में बंद है।

इंकलाब (8 जून) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हम सजा के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे और मुझे आशा है कि उसे इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व अक्षरधाम हमले के मामले में जिन चार लोगों को फांसी दी गई थी, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती वलीउल्लाह का संबंध उत्तर प्रदेश के फूलपुर से है और उसे जमीयत उलेमा की ओर से गत दस वर्षों से मुफ्त कानूनी और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।

टिप्पणी: वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन, दशाश्वमेध घाट और संकट मोचन मंदिर में 7 मार्च 2006 को सीरियल बम बलास्ट हुए थे। जांच के दौरान वलीउल्लाह, मोहम्मद जुबैर, जकारिया, मुस्तकीम और बशीर को आरोपी पाया गया था। इनमें से मोहम्मद जुबैर कश्मीर में हुए मुठभेड़ में मारा गया था। जबकि अन्य आरोपी अभी तक फरार हैं। कहा जाता है कि ये लोग नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भाग गए हैं। 5 अप्रैल 2006 को पुलिस ने एक मदरसा के मौलवी वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान वाराणसी का कोई भी वकील वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इस पर उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस मुकदमे को गाजियाबाद स्थानांतरित किया गया था और वहां जमीयत उलेमा की ओर से छह वकील वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ रहे थे। 16 वर्ष के मुकदमे की सुनवाई के दौरान 121 गवाह जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने आरोपी वलीउल्लाह को दो मुकदमे में दोषी ठहराया है, जबकि वाराणसी कैंट पर हुए मुकदमे में उसे गवाहों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।

सिविल सेवा परीक्षा में चयनित मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में कमी

संघ लोक सेवा आयोग 2021 के परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी गई है।

बेंगलुरु से प्रकाशित होने वाले अखबार **सालार** (31 मई) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान परीक्षा परिणाम मुसलमानों के लिए इस दशक का सबसे बुरा परिणाम है। इसमें सिर्फ 25 मुस्लिम उम्मीदवार ही सफल हुए हैं। विभिन्न मुस्लिम संस्थानों ने आई.ए.एस., आई.एफ.एस. और आई.पी.एस. आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो नि:शुल्क व्यवस्था की थी, उसके कारण प्रशिक्षित उम्मीदवारों को जबर्दस्त कामयाबी मिली है। 685 सफल उम्मीदवारों में से 403

मुस्लिम संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया एकेडमी से सबस ज्यादा 23 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जिनमें 12 मुसलमान शामिल हैं। जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से 22, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से 17 और जामिया हमदर्द के 7 उम्मीदवार सफल हुए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या मात्र 2 बताई गई है। दिलचस्प बात यह है कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली श्रुती शर्मा ने भी जामिया मिलिया से ही प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

उर्दू समाचारपत्रों ने इस बात पर भी चिंता प्रकट की है कि इस बार जिन 100 उम्मीदवारों ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, उनमें एक भी मुसलमान नहीं हैं। मुस्लिम उम्मीदवारों में से सबसे अधिक अंक अरीबा नोमान ने प्राप्त किए, जिनका स्थान 109वां है। जो अन्य मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए हैं उनमें मोहम्मद सुबूर खान, सैयद मुस्तफा हाशमी, अफनान अब्दु समद, अरशद मोहम्मद, मोहम्मद साकिब आलम, असरार अहमद किचलू, आशिक अली, मोहम्मद अब्दुल रऊफ शैक, नाजिश उमर अंसारी, फैसल खान, शुमैला चौधरी, माविस टाक, मोहम्मद कमरूद्दीन खान, मोहम्मद शबीर, फैसल रजा, मासूम रजा खान, आसिफ ए., मुस्कान डागर, तहसीन बानो दावदी, शेख मोहम्मद जैब जाकिर, मोहम्मद सिद्दीक शरीफ, मोहम्मद शौकत अजीम, हुस्नी मुबारक, अनवर हुसैन शामिल हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (31 मई) के अनुसार पिछले दस वर्षों में मुस्लिम उम्मीदवार इतनी कम संख्या में कभी सफल नहीं हुए। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि कोरोना महामारी के कारण मुसलमान इस बार अधिक संख्या में सफल नहीं हुए।

रोजनामा सहारा (31 मई) ने अपने संपादकीय में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस वर्ष के परीक्षा परिणाम में सबसे अधिक अंक पाने वाली तीनों महिलाएं हैं। समाचारपत्र ने इस बात पर भी चिंता प्रकट की है कि मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में अखिल भारतीय सेवाओं में सफल होन वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या तेजी से कम हो रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (31 मई) ने अपने संपादकीय में इस बात पर चिंता प्रकट की है कि

संघ परिवार गत कुछ वर्षों से यूपीएससी जिहाद का अभियान चलाकर देशवासियों को गुमराह कर रहा है। इस अभियान में 'सुदर्शन टीवी चैनल' सबसे आगे हैं। परीक्षा में पहला स्थान पाने वाली श्रुती शर्मा ने अपनी सफलता के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रशिक्षण को श्रेय दिया है और उन्होंने अपनी सफलता के लिए तारिक और फारूकी नामक प्राध्यापकों की प्रशंसा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस बार सफल उम्मीदवारों में से मुसलमानों का अनुपात 3 प्रतिशत ही है। समाचारपत्र ने कहा है कि मुस्लिम नौजवानों को इस बार हुई विफलता से घबराना नहीं चाहिए और दोगुनी मेहनत से अगली परीक्षाओं की तैयारी शुरू करनी चाहिए, ताकि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं उनके मुंह पर आने वाला परीक्षा फल करारा तमाचा सिद्ध हो सके।

अवधनामा (1 जून) ने इन प्रतियोगी परीक्षाओं में मुसलमान उम्मीदवारों की गिरती हुई संख्या पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने कहा है कि क्योंकि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इसलिए कोरोना महामारी के कारण मुस्लिम उम्मीदवार ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। उनके पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट आदि की सुविधाएं नहीं थीं। इसके अतिरिक्त इन दिनों देश में जो हालात हैं उसके कारण मुसलमान काफी परेशान हैं। इस वातावरण का प्रभाव भी इन परीक्षा परिणामों पर जरूर पड़ा होगा।

औरंगाबाद टाइम्स (2 जून) के अनुसार अगर मुसलमानों को देश में अपनी स्थिति सुधारनी है तो उन्हें शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। आमतौर पर यह कहा जाता है कि इन परीक्षाओं में किसी तरह का पक्षपात नहीं होता। अगर यह दावा सही है तो हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि पिछले वर्षों में इन परीक्षाओं में सफल होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम क्यों हुई है? आज जो दल सत्ता में है उसका पूरा प्रयास इस बात पर है कि किस तरह से मुसलमानों को हाशिए पर लाया जाए। इसलिए यह जरूरी है कि मुसलमान छात्रों में इस बात का प्रचार किया जाए कि वे पूरी लगन और मेहनत से इन परीक्षाओं में भाग लें।

समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम उम्मीदवार गत वर्षों में इन परीक्षाओं में सफल हुए हैं, उनकी काफी बड़ी संख्या मदरसों में शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने उर्दू माध्यम से परीक्षा दी थी। समाचारपत्र ने कहा है कि जकात फाउंडेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया हमदर्द जैसे अनेक संस्थानों को मुस्लिम उम्मीदवारों का इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो मुस्लिम आई.ए.एस., आई.पी.एस. या आई.एफ.एस. रहे हैं उन्हें इन

संस्थानों में नि:शुल्क अपनी सेवाएं देनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी देश के शासनतंत्र में अपना जायज मुकाम हासिल कर सकें।

टिप्पणी: इससे पूर्व 2020 में इन परीक्षाओं में 31 मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए थे। जबकि 2019 में इनकी संख्या 42 थी। 2018 में 40 और 2017 में सबसे अधिक 52 उम्मीदवार सफल हुए थे। 2016 में इनकी संख्या 36 थी और 2015 में 38 थी। 2014 में 34, 2013 में 30, 2012 में 30, 2011 में 30, 2010 में 31 और 2009 में 21 मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए थे। इस समय दस मुस्लिम संस्थानों द्वारा इन अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए तैयारी करवाने वाले 51 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मुफ्त भोजन, आवास और पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा भी इन परीक्षाओं में जो मुस्लिम उम्मीदवार शामिल होते हैं उन्हें एक-एक लाख रुपये आर्थिक अनुदान दिया जाता है।

मौलाना महमूद मदनी की धमकी

इंकलाब (30 मई) के अनुसार देवबंद में जमीयत उलेमा की केंद्रीय कार्यकारिणी के दो दिवसीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जो लोग इस्लाम और मुसलमानों को पसंद नहीं करते और हमें पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, वे स्वयं पाकिस्तान चले जाएं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हमारी अलग पहचान और देश प्रेम पसंद नहीं हैं तो वे इस देश से कहीं और चले जाएं। महमूद मदनी ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें संविधान में इस बात का अधिकार दिया गया है। जिसे जो चाहिए वह कानून बना ले, मगर मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। शर्त यह है कि मुसलमान अपनी आस्था और शरीयत पर डटे रहें।

अवधनामा (30 मई) के अनुसार इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि समान नागरिक संहिता लागू करना इस्लाम में

हस्तक्षेप है। इस हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। समान नागरिक संहिता लागू करने की अगर कोई भी कोशिश की जाती है तो वह संविधान की धारा 25 का उल्लंघन है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनचाहे धर्म के अनुसार आचरण करने की आजादी दी गई है। प्रस्ताव में इस बात की निंदा की गई कि सत्तारूढ़ दल मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने के लक्ष्य से समान नागरिक संहिता लागू करने की धमकियां दे रहे हैं। इस प्रस्ताव में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह से संबंधित एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि जमीयत उलेमा सत्ता में बैठे लोगों को यह बताना चाहती है कि वह इतिहास के पुराने मतभेदों को बार-बार जिंदा करने की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसा करना देश में शांति और भईचारे के लिए खतरनाक है। सर्वोच्च न्यायालय बाबरी मस्जिद के फैसले में उपासना स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखने के 1991 के कानून का अनुमोदन कर चुकी है, इसलिए सत्तारूढ़ दल को गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हम पिछले 10 वर्षों से सब्र से काम ले रहे हैं। हम पर जहर उगलने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए जहर उगल रहे हैं उनसे कोई प्रश्न करने की हिम्मत नहीं करता। हम भले ही तकनीकी आधार से अल्पसंख्यक हों, मगर हमारी विचारधारा से सहमत लोग इस देश में बहुमत में हैं। नफरत के सौदागर असल में अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत की कि मुख्य धारा और उर्दू मीडिया के एक हिस्से ने मेरी बातों को अपने ढंग से पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमें सत्ता में बैठे हुए लोग सीबीआई के केस की धमकियां दे रहे हैं। जिन लोगों को हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है उन्हें इस देश से कहीं और चले जाना चाहिए।

जमीयत ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे शादी, तलाक, खुला और विरासत के कानून किसी समाज या सरकार के बनाए हुए नहीं हैं। य कुरान पाक और हदीस क हिस्स हैं। उन पर हमारी धार्मिक आस्था टिकी हुई है। इसलिए किसी सरकार या अदालत को उनमें किसी तरह का

संशोधन करने या उनको पालन करने से रोकने का अधिकार नहीं है। यह तो सीधा-सीधा हमारे इस्लाम में हस्तक्षेप है और यह भारतीय संविधान की धारा 25 में दी गई गारंटी के खिलाफ है। अगर कोई सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की गलती करती है तो मुसलमान और अन्य कई वर्ग इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और उसके खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सरकार को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सिर्फ उसी हालत में हस्तक्षेप करने की हिम्मत होती है जब हम स्वयं इस्लाम और शरीयत से दूर हो जाते हैं। अगर मुसलमान शरीयत के अनुसार अपन जीवन को व्यतीत करें तो दुनिया को कोई ताकत उन्हें इससे रोक नहीं सकती और न ही उन पर समान नागरिक संहिता लाद सकती है।

इसी समाचार में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार एक दशक पहले इस 100 वर्ष पुरानी जमात में जो विभाजन हो गया था, अब दोनों गुटों में पुनः एकता स्थापित होने की संभावना पैदा हो गई है। इस समय जमीयत उलेमा हिंद दो गुटों में विभाजित है। एक गुट का नेतृत्व मौलाना अरशद मदनी करते हैं और दूसरे गुट का नेतृत्व उनके भतीजे महमूद मदनी के हाथ में है। एक दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि महमूद मदनी गुट के अधिवेशन में उनके चाचा मौलाना अरशद मदनी ने भी भाग लिया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश के मुसलमान जिस संकट से गुजर रहे हैं, उसको देखते हुए यह जरूरी है कि मुसलमान एकजुट हों, ताकि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और सरकार को मनमानी करने का मौका न मिले। उन्होंने कहा कि इस्लाम के विद्वानों ने देश की आजादी से लेकर बाबरी मस्जिद तक समस्याओं के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे बुजुर्ग कभी सड़क पर नहीं आए, बल्कि उन्होंने संवैधानिक संघर्ष किया।

गौरतलब है कि जमीयत उलेमा की स्थापना खिलाफत कमेटी के निर्देश पर खिलाफत और हिंदुस्तानी मुसलमानों के अधिकार की रक्षा के लिए 1919 में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन मदनी, अब्दुल बारी फिरंगी महली, किफायतउल्लाह दहलवी, मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटी और सनाउल्लाह अमृतसरी आदि प्रमुख मुस्लिम विद्वान शामिल थे। जमीयत उलेमा प्रारंभ से ही कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती रही है। इसके पहले महामंत्री मौलाना हिफजुर रहमान लोक सभा में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित होते रहे। उनके निधन के बाद मौलाना असद मदनी 24 वर्षों तक कांग्रेस के टिकट पर राज्य सभा की शोभा बढ़ाते रहे। इससे पहले भी कम-से-कम तीन बार जमीयत उलेमा में विभाजन हो चुका है। इसी तरह से जमीयत उलेमा द्वारा संचालित दारूल उलूम देवबंद में भी विभाजन हुआ और मौलाना अंजर शाह कश्मीरी ने जमीयत उलमा के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करके वहां पर एक समानांतर दारूल उलूम देवबंद (वक्फ) स्थापित किया। दारूल उलूम देवबंद और जमीयत उलेमा का संबंध सुन्नी मुसलमानों की वहाबी विचारधारा से है।

अखबार मशरिक (31 मई) ने संपादकीय प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है 'जो मुसलमानों को पसंद नहीं करते वे पाकिस्तान चले जाएं, जमीयत उलेमा के अधिवेशन में मौलाना महमूद की खरी-खरी।' देवबंद में जमीयत उलेमा का दो दिवसीय अधिवेशन समाप्त हो गया है। इस अधिवेशन में 5000 से अधिक उलेमा ने हिस्सा लिया और मुसलमानां के धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक हालात पर चर्चा की। अधिवेशन के अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यह मुल्क हमारा है, जो लोग हमें और इस्लाम को पसंद नहीं करते वे यहां से चले जाएं। उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाने वाले हिंदू संगठनों को भी कड़ी चेतावनी दी।

उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वे आग का जवाब आग से न दें। यह देश हमारा है और हम इसे पागलों और दिवानों से बचाएंगे। जिन लोगों को हमारा मजहब, लिबास और रस्मो-रिवाज पसंद नहीं है, वे हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। हम तो यहीं रहेंगे। देश के विभाजन के समय हमें यह अधिकार दिया गया था कि अगर हम चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं, मगर हमारे पूर्वजों ने भारत में ही रहने को प्राथमिकता दी। जो लोग जबरन हम पर अपने फैसले लादना चाहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वे कोई जबरन फैसला हम पर नहीं लाद सकते। इस्लाम और शरीयत में जो पर्सनल लॉ हैं उसे बदलने का किसी को अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि संघ परिवार के एजेंडे में तीन बातें मुख्य थीं, जिनमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को समाप्त करना और समान नागरिक संहिता शामिल था। एजेंडे की पहली दो बातों को संघ परिवार लागू कर चुका है और अब वह जबरन हम पर समान नागरिक संहिता लागू करना चाहता है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने इसे लागू करने के लिए कमेटी भी बना दी है। भाजपा शासित अन्य राज्य भी मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए और हमें कानूनी रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस देश में एक हजार स्थानों पर सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन करके जनता को जागृत करना चाहते हैं। जिन लोगों ने बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला छेड़ा है वे इस देश के दुश्मन हैं। वे नहीं चाहते कि यह देश तरक्की करे। हम नफरत के इस अभियान का मुकाबला कानून और संविधान द्वारा करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमारी लड़ाई हिंदुओं से नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर इस देश में आग लगाने वाली सरकार से है। मौलाना मदनी ने कहा कि मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए। वे यहीं के हैं। इसका प्रमाण यह है कि उनका रंग-रूप, जुबान और लिबास बहुसंख्यक समाज से भिन्न नहीं है।

विश्व

पाकिस्तान में विभाजन का खतरा

सियासत (3 जून) के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान के शासक नहीं चेते तो पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तानी सेना तबाह हो जाएगी। 'बोल न्यूज' के प्रोग्राम विश्लेषण के एंकर समी इब्राहिम को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान में तुरंत चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो देश में गृहयुद्ध शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तानी सेना का नामोनिशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि हम यह चाहते हैं कि पाकिस्तान के वर्तमान शासक इस देश में चुनाव करवाएं। इस समय पाकिस्तान में जो लोग सत्ता में है वे चुनाव नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वे यह समझते हैं कि अगर देश में चुनाव हुआ और कोई निष्पक्ष सरकार सत्ता में आ गई तो उनके काले कारनामों और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो जाएगा। यही कारण है कि इन लोगों ने विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन करके उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रची थी।

उन्होंने स्वीकार किया कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आई थी तो उनकी सरकार कमजोर थी और उसे सहयोगियों की जरूरत थी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में चुनाव हो और जनता हमें स्पष्ट बहुमत दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कभी भी सत्ता को स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे हाथ बंधे हुए थे। हमें हर जगह से ब्लैकमेल किया गया। ताकत हमारे पास नहीं थी। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ताकत का केंद्र कहां है। इसलिए हमें उसी केंद्र पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि वे सत्ता में थे, मगर उनके पास सारी ताकत नहीं थी और जब तक किसी के पास पूरी ताकत न हो तो वह किसी भी संस्था से काम नहीं करवा सकता। निजाम तभी काम करता है जब सत्ता और ताकत एक जगह हो।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने देश क अधिष्ठान को संबोधित करते हुए कहा कि आप स्वयं को तटस्थ कहतें हैं, लेकिन लोग इस बात को जानते हैं कि सत्ता आपके पास है और आपकी मर्जी के बिना

पाकिस्तान में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सोवियत यूनियन का इसलिए विघटन हुआ, क्योंकि उसका आर्थिक ढांचा चरमरा चुका था। रूसी सेना ताकतवर होते हुए भी सोवियत यूनियन को एकजुट नहीं रख सकी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था दिन-प्रतिदिन चौपट हो रही है। महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। सत्ता का केंद्र सेना सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि इस देश को दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता। जब देश दिवालिया होगा तो जनता के आक्रोश का निशाना पाकिस्तानी सेना बनेगी और हम परमाणु शक्ति से हाथ धो बैठेंगे। इसके बाद इस देश के तीन टुकड़े हो जाएंगे। अब भी समय है कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वे सही फैसले करें। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में प्रश्न किए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कह सकता। जो कुछ हुआ है उसके लिए इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो जनता को हकीकत का पता चलेगा। पाकिस्तान की वही संस्थाएं कब्र खोद रही हैं, जिन्होंने कभी पाकिस्तान की नींव रखी थी और उसे मजबूत किया था।

इंकलाब (6 जून) के अनुसार पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अदालत के आदेश पर हालांकि हमने इमरान खान को सुरक्षा प्रदान की है, मगर जमानत की अवधि समाप्त होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके खिलाफ दंगों को भड़काने, सेना को विद्रोह के लिए उकसाने और पाकिस्तान के सुरक्षा सैनिकों पर सशस्त्र हमले क 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो प्रत्येक दिन देश में विघटन फैलाता हो उसे जेल से बाहर कैसे रखा जा सकता है। जानकार सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इमरान खान के आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके बेटे की गिरफ्तारी की संभावना

मुंबई उर्दू न्यूज (6 जून) के अनुसार पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा फेडरल जांच एजेंसी (एफआईए) ने मनी लांन्ड्रिंग केस में अदालत से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे तथा पंजाब के मुख्यमंत्री मियां हम्जा शहबाज की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत से मांग की है कि उसे इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जाए। गौरतलब है कि इन दोनों के खिलाफ चीनी मिल कांड में 25 अरब के घोटाले में लाहौर की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। सरकारी वकील फारूक बाजवा ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ अदालत में पूरक चालान पेश किया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है।

जबकि शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि अभी तक जांच एजेंसी इस बात का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी है कि इस धनराशि का कोई हिस्सा इन दोनों के निजी खातों में जमा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मुकदमा पुरानी सरकार ने राजनैतिक द्वेष के कारण दर्ज करवाया था और जांच एजेंसी डेढ़ वर्ष जांच करने के बावजूद इन दोनों के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण इकट्ठा नहीं कर पाई है। हमजा शरीफ के खातों में जो रकम जमा हुई है वह कारोबारी लेनदेन की है और कानूनी तौर पर जायज है। इमरान खान ने इनके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज करवाया था तो ये दोनों पिता-पुत्र जेल में थे और इन दोनों को गिरफ्तार करने क बजाय जांच एजेंसी महीनों तक चुप रही। अदालत

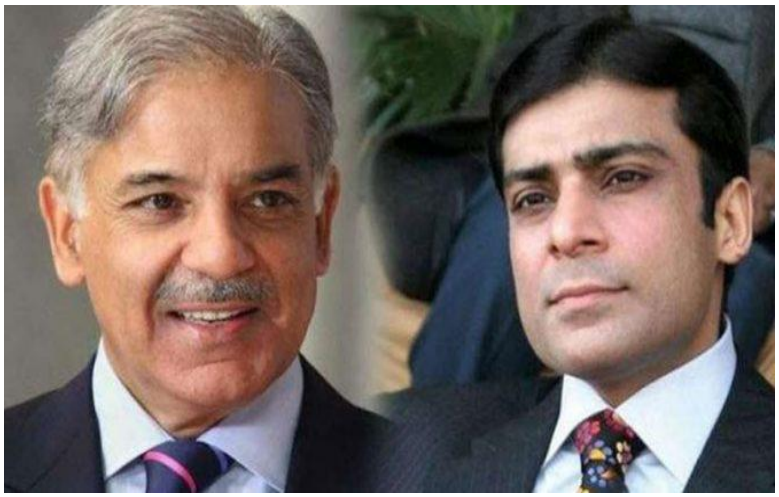

सिलसिले में गिरफ्तार करना चाहती है। इसलिए उसने अदालत से गिरफ्तारी की अनुमति मांगी है। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि जेल में इन दोनों से जांच एजेंसी कई बार पूछताछ कर चुकी है। इसलिए इन दोनों को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। जियो न्यूज के अनुसार दिसंबर 2021 में एफआईए ने इन दोनों के खिलाफ चीनी घोटाले के केस में 16 अरब रुपए के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था और इस संदर्भ में अदालत में चालान दायर किए थे। जांच एजेंसी ने यह दावा किया था कि शहबाज खानदान के 28 बेनामी खाते हैं, जिनमें 2008 से लेकर 2018 तक अरबों रुपये अवैध रूप से जमा किए गए हैं। गौरतलब है कि इन दिनों शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ दोनों जमानत पर हैं।

ने जांच एजेंसी से पूछा कि क्या इन दोनों की गिरफ्तारी जरूरी है? इस पर सरकारी वकील ने कहा कि क्योंकि इन दोनों से पूछताछ की जानी जरूरी है और यह बिना उन्हें गिरफ्तार किए नहीं हो सकता।

जियो न्यूज के अनुसार जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को 25 अरब रुपये के घोटाले के

बोरिस जॉनसन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रद्द

इत्तेमाद (8 जून) के अनुसार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपनी सरकार बचाने में सफल रहे हैं। उनके खिलाफ उनकी पार्टी में ही विद्रोह हो गया था, जिसके बाद उनकी सरकार के खिलाफ हाउस ऑफ कॉमन्स में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था, मगर मतदान मं यह प्रस्ताव पारित न हो सका। सदन के 359 सदस्यों में से उन्हें 211 सदस्यों का समर्थन प्राप्त रहा। अब कम-से-कम एक वर्ष तक उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश संसदीय नियमों के अनुसार यदि एक बार कोई मंत्रिमंडल हाउस ऑफ कॉमन्स में विश्वास प्रस्ताव को जीत जाता है तो अगले एक वर्ष तक उसके खिलाफ कोई ऐसा प्रस्ताव सदन में पेश नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि इससे पूर्व 2018 में इसी तरह से थेरेसा मंत्रिमंडल के खिलाफ भी सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ था, हालांकि मतदान में वह जीत गई थीं। परंतु छह महीने के बाद उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अविश्वास का प्रस्ताव विफल हो जाने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि यह बहुत ही सकारात्मक कदम है। अब हम एकजुट होंगे, आगे बढ़ेंगे और काम पर ध्यान देंगे।

अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान सदन में उपस्थित 359 सांसदों में से कंजर्वेटिव पार्टी के 211 सांसदों ने उनके पक्ष में मत दिया, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी के कई सदस्यों ने विद्रोह करते हुए विपक्ष के पक्ष में मतदान किया।

करेंगे। मीडिया के अनुसार बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी ही पार्टी में विद्रोह के स्वर मुखर हो रहे हैं। उन पर यह आरोप है कि वे ब्रिटिश जनता के हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जबकि बोरिस जॉनसन का कहना है कि हमारे पास जनता की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा है। अब हमें एक सरकार और एक पार्टी के तौर पर एकजुट होने की जरूरत है, ताकि हम शासन करते रहें और जनता की समस्याओं का समाधान करते रहें। जॉनसन ने कहा कि उन्हें सदन में विजय पाने के बाद पुनः चुनाव करवाने में कोई रुचि नहीं है। वे देश और जनता के विकास के अपने एजेंडे को जारी रखेंगे।

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसान जॉनसन भले ही अपनी गद्दी बचाने में सफल रहे हों, मगर इस संकट के बाद उनकी स्थिति कमजोर हो गई है और उनके भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। राजनीतिक गलियारों में प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कई पार्टियों में भाग लिया था। रॉयट्र्स ने आरोप लगाया था कि बोरिस जॉनसन और उनके स्टाफ ने कार्यालय में तब एक शराब पार्टी का आयोजन किया, जब देश में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था। इस तरह से उन्होंने कोरोना नियमों का खुला उल्लंघन किया।

ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सुनाक ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने का स्वागत किया है और कहा है कि अब हम ब्रिटेन के आर्थिक विकास और जनता की सेवा को बेहतर बनाने के लिए पूरी लगन से अपना काम फिर से शुरू

दूसरी ओर ब्रिटेन में विपक्ष के नेता सर केर स्टार्मर ने कहा है कि सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है और न ही उसे ब्रिटिश जनता की समस्या के समाधान में कोई रुचि है। उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जनता के विश्वास को जीतने के लिए एकजुट है। यदि हमें मौका मिला तो हम ब्रिटिश जनता को एक बेहतर सरकार देंगे। दूसरी ओर कंजर्वेटिव पार्टी के विद्रोहियों का कहना है कि अगर बोरिस जॉनसन को पार्टी की लीडरशिप से नहीं हटाया गया तो हमारी पार्टी अगला चुनाव नहीं जीत सकती।

तालिबान को आईएसआईएस से सबसे बड़ा खतरा

इंकलाब (5 जून) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में पुनः गृहयुद्ध शुरू होने की संभावना है। तालिबान सरकार को अलकायदा, आईएसआईएस और पंजशीर में सक्रिय विद्रोहियों की ओर से जबर्दस्त खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएसआईएस और अलकायदा अब अपनी गतिविधियां अफगानिस्तान तक ही सीमित कर रही

हैं। इन संगठनों के आतंकवादियों ने तालिबान के खिलाफ सशस्त्र झड़पों की शुरुआत कर दी है। इसके साथ-साथ आईएसआईएस चुन-चुनकर शिया और हजारा संप्रदाय से संबंधित लोगों को हिंसा का निशाना बना रहा है। अभी तक किसी देश ने तालिबान को मान्यता प्रदान नहीं की है और न ही उसे आर्थिक सहायता ही प्राप्त हुई है। इसके कारण वहां पर दिन-प्रतिदिन आर्थिक स्थिति गंभीर होती जा रही है।

अफगान जनता के लिए आय के सबसे बड़े साधन पोस्त की खेती पर तालिबान ने सख्त पाबंदी लगा दी है। इसके कारण अफीम, कोकीन आदि मादक पदार्थों की तस्करी करने के धंधे को गहरा धक्का लगा है। इस वजह से अफगानी किसान तालिबान के खिलाफ हो गए हैं। हाल ही में पंजशीर क्षेत्र में अहमद मसूद के समर्थक विद्रोही फिर से सक्रिय हो गए हैं। इन विद्रोहियों के तार कुछ विदेशी संगठनों से जुड़े हुए हैं जो उन्हें तालिबान के खिलाफ सैनिक और आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में इन्हें विदेशी स्रोतों से आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त हुई है। इन दिनों पंजशीर क्षेत्र में मसूद विद्रोहियों और तालिबान के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है और 87 लाख लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़ा है। तालिबान सिर्फ पश्तून कबीले से संबंधित लोगों को ही प्रमुखता दे रहे हैं। इसके कारण अफगानिस्तान क अन्य कबीलों में भारी असंतोष है, जो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है।

जिहादियों द्वारा गिरजाघर पर हमला

इंकलाब (7 जून) के अनुसार इस्लामिक जिहादियों ने नाइजीरिया में एक कैथोलिक चर्च पर हमला करके 50 से अधिक लोगों की निर्मम हत्या कर दी और सैकड़ों घायल हो गए। यह घटना ओन्डो राज्य में हुई। राज्य के गवर्नर रोटिमी अकेरेडोलु ने सेंट फ्रांसिस चर्च पर होने वाले हमले को बेहुदा और शैतानी करार दिया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे कानून को अपने हाथों में न लें। इस क्षेत्र के सांसद ने आरोप लगाया है कि आतंकियों ने चर्च के पादरी और कुछ अन्य ईसाईयों का अपहरण कर लिया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मद् बुहारी ने इस घटना की निंदा की है। वेटिकन ने एक बयान जारी करके इस घटना की निंदा करते हुए सरकार से मांग की है कि वहां पर रहने वाले ईसाईयों को सुरक्षा प्रदान की जाए। लागोस में 'डी.डबल्यू.' के संवाददाता ने कहा है कि नाइजीरिया में मुसलमानों और ईसाईयों के बीच हिंसा तेजी से फैल रही है। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक लाशें लाई जा चुकी हैं। अभी और लाशों के लाए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चर्च पर हमले की जिम्मेवारी अभी तक किसी जिहादी संगठन ने स्वीकार नहीं की है।

पश्चिम एशिया

दो वर्ष के बाद विदेशी हज यात्री सऊदी अरब में

इंकलाब (5 मई) के अनुसार विदेशी हज यात्रियों के सऊदी अरब आने का सिलसिला दो वर्ष के बाद पुनः शुरू हो गया है। इस वर्ष दस लाख लोगों के हज करने की संभावना है। सबसे पहले इंडोनेशिया के हज यात्री रियाद के मदीना हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं, जहां पर सऊदी अरब के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस वर्ष सऊदी सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के हज यात्रियों के सऊदी अरब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ उन्हीं लोगों को सऊदी अरब में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, जिन्होंने कोरोना के टीके लगवा रखे हों। इंडोनेशिया के बाद भारतीय हज यात्रियों का एक दस्ता भी सऊदी अरब पहुंच गया है। सऊदी वजारत-ए-हज ने यह घोषणा की है कि 2022 के हज से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्हीं हज यात्रियों को सऊदी अरब में प्रवेश करने की अनुमति होगी, जिनके पास स्मार्टफोन होंगे। इस स्मार्ट फोन में उन्हें हज से संबंधित ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा।

सियासत (4 जून) के अनुसार बिना इजाजत हज करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सऊदी सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय किया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत सऊदी अरब से निष्कासित कर दिया जाएगा और दस वर्ष तक उसे किसी भी तरह का वीजा नहीं दिया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो लोग हज यात्रा के लिए आ रहे हैं उन्हें वहां रहने का परमिट नहीं दिया जाएगा। हर हज यात्री को सऊदी अरब में दाखिल होने से पूर्व 72 घंटे के अंदर-अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए। सऊदी एयरलाइंस ने हज यात्रियों को लाने के लिए 14 हवाई जहाजों की व्यवस्था की है, जो दुनिया भर के 15 स्थानों से 268 उड़ानें भरकर हज यात्रियों को लाएंगे। इसके अतिरिक्त घरेलू

विमान से भी हज यात्रियों को लाया जाएगा। सऊदी सरकार ने 1 लाख 7 हजार अंतरराष्ट्रीय और 12 हजार 800 घरेलू सीटें उपलब्ध करवाई हैं।

इंकलाब (6 जून) के अनुसार सऊदी सरकार ने पाकिस्तान सहित पांच देशों के हज यात्रियों के लिए 'रूट टू मक्का' नामक सुविधा उपलब्ध कराई है। यह सुविधा जिन अन्य देशों के हज यात्रियों को उपलब्ध कराई गई हैं उनमें बांग्लादश, मलेशिया, मोरक्को और इंडोनेशिया शामिल हैं। ये सीधे मक्का जा सकेंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 जून) के अनुसार हज यात्रियों के ठहरने के लिए 3 हजार स्थानों की व्यवस्था की गई है। इस बार हज यात्रियों को काबा से दूर ठहराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मक्का के विभिन्न होटलों में भो हज यात्रियों के ठहरने के लिए 2500 कमरों की व्यवस्था की गई है। इन कमरों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन होटलों के अतिरिक्त हज यात्री यदि चाहें तो वे निजी इमारतों में भी ठहर सकेंगे। अभी तक 3 हजार निजी इमारतों को हज यात्रियों को ठहराने के लिए परमिट जारी किए गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए चिकित्सा से संबंधित स्टाफ को भी भारी संख्या में भर्ती किया गया है।

रोजनामा सहारा (6 जून) के अनुसार इस वर्ष 50 हजार से ज्यादा भारतीय मुसलमानों के हज यात्रा करने की संभावना है। भारतीय हज यात्रियों का पहला दल, जिसमें 145 हज यात्री हैं, मक्का पहुंच गया है। ये हज यात्री जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं। भारतीय हज यात्री 4 जून से 16 जून तक विशेष उड़ानों द्वारा सऊदी अरब जाएंगे।

संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और जॉर्डन के बीच औद्योगिक भागीदारी

हमारा समाज (31 मई) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और जॉर्डन के बीच औद्योगिक भागीदारी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख मंसूर बिन जायेद अल नाहयान मौजूद थे। इस समझौते के तहत

पांच औद्योगिक क्षेत्रों में ये तीनों देश मिलकर औद्योगिक विकास का कार्यक्रम शुरू करेंगे। इन क्षेत्रों में खाद्य, कृषि और उर्वरक, औषधि निर्माण, कपड़े बुनना, खनिज और पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं, संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख मंसूर ने कहा कि अरब देशों के औद्योगिक विकास में यह समझौता एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा और ये देश औद्योगिक क्रांति लाने में विशेष भूमिका निभाएंगे। इस्पात, एल्यूमीनियम और पेट्राकेमिकल्स से संबंधित उद्योगों में उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की विशेष भूमिका होगी और इससे इन देशों की जीडीपी में 24 प्रतिशत वृद्धि होगी और 21 प्रतिशत लोगों को और अधिक रोजगार मिलेगा। मिस्र के उद्योग और व्यापार मंत्री डॉ. नवीन गेमिया ने कहा है कि कोरोना महामारी और रूस तथा यूक्रेन संकट के कारण अब यह जरूरी हो गया है कि विभिन्न अरब देश आपस में तालमेल करके औद्योगिक विकास करें, ताकि अरब देश आत्मनिर्भर बन सकें और उन्हें विदेशों से तैयार सामान को मंगवाने की जरूरत न पड़े। उन्होंने कहा कि फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात इस परियोजना में दस अरब डॉलर का पूंजी निवेश करेगा।

तुर्की का नाम तुर्किये करने की अनुमति

सहाफत (4 जून) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने तुर्की का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। अब तुर्की का नाम बदलकर तुर्किये कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि तुर्की के विदेश मंत्री मेवलट चावुसोग्लू की ओर से एक पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को प्राप्त हुआ था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि लोकतांत्रिक तुर्की का नाम सभी दस्तावेजों में बदलकर तुर्किये कर दिया जाए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने तुर्की का नाम बदलकर तुर्किये रख दिया है। अब भविष्य में विश्व भर में इसी नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। तुर्की के टेलीविजन चैनल टी.आर.टी. के अनुसार तुर्की की जनता इस नाम को इसलिए पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे विदेशियों ने उस पर जबरन लादा था। प्रारंभ से ही तुर्की का नाम तुर्किये ही रहा है।

इसलिए राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस पुराने नाम को ही इस्तेमाल के लिए फरमान जारी किया है।

टेलीविजन चैनल के अनुसार पश्चिम एशिया में अंताल्य को 11वीं शताब्दी में तुर्कों ने विजय किया था और उसे तुर्किये ही कहा जाता था। बाद में यूरोपीय देशों ने इसका नाम बदल दिया। सल्तनत उस्मानिया ने जब पहले विश्व युद्ध से अलग होने के बारे में ब्रिटेन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो तुर्की शब्द का पहली बार अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था। 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही उस्मानिया साम्राज्य समाप्त हो गया और इसे तुर्किये की बजाय तुर्की कहा जाने लगा। यूरोपीय देशों के रहने वाले लोग व्यंग्य से तुर्कमान कबाइलियों को तुर्क कहते थे, जिसका अर्थ अनपढ़, देहाती, घुमक्कड़ होता है। उस्मानी सल्तनत में भी तुर्क को अनपढ़ माना जाता था।

सालार (5 जून) ने अपने संपादकीय में तुर्की का नाम बदलने का स्वागत किया है और कहा है कि राष्ट्रपति एर्दोगान ने गुलामी के एक अवशेष का अंत कर दिया है। अब पाठ्यपुस्तकों से लेकर समाचारों तक तुर्की शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि ब्रिटिश साहित्यकार शेक्सपियर का कहना था कि नाम से क्या होता है। जबकि हिंदी के विख्यात साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह एक नाम है बल्कि वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे एक सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। अगर तुर्की अपना नाम बदलकर गौरव अनुभव कर रहा है तो वह इसका हकदार है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का यह कहना सही है कि तुर्किये इस देश को महान सभ्यता और इतिहास की ओर संकेत करता है।

कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार तुर्की एक परिंदा का नाम है। इसके अतिरिक्त तुर्की उसे भी कहा जाता है जो कि हर क्षेत्र में विफल रहा हो। तुर्की अपना नाम बदलने वाला पहला देश नहीं है। बर्मा भी अपना नाम बदलकर म्यांमार और सिलोन अपना नाम बदलकर पहले ही श्रीलंका रख चुका है। रोडेसिया जिम्बाब्वे बन गया। आज दुनिया में शायद ही ऐसी कौम होगी जो अपनी गुलामी की यादों को सुरक्षित रखना चाहती हो। हमने भी कलकत्ता से कोलकाता, मदास से चेन्नई, बम्बई से मुंबई, बंगलौर से बंगलुरु तक का सफर तय किया है। कई बार राजनीतिक दबाव के कारण भी नामों को बदला जाता है, जैसा की उत्तर प्रदेश या मोदी के शासनकाल में हो रहा है। मुगलों को लूटेरा और हिंदू दुश्मन साबित करके उनके नामों पर रखी गई सड़कों और नगरों के नाम बदले जा रहे हैं। इसलिए नया नाम रखने से पहले हमें सभी पक्षों पर विचार करना चाहिए।

इत्तेमाद (4 जून) ने अपने संपादकीय में तुर्की का नाम बदलने का स्वागत करते हुए कहा है कि दुनिया भर में विदेशियों द्वारा जबरन लादे गए नामों को बदला जा रहा है। समाचारपत्र ने इस संदर्भ में सिलोन को श्रीलंका बनाने, हॉलैंड को नीदरलैंड में बदलने, फारस को ईरान बनाने, इंदरस को स्पेन बनाने, सियाम को थाईलैंड में बदलने का जिक्र किया है और कहा है कि तुर्की को पहले कभी अंताल्या कहा जाता था, जिसका बाद में विदेशियों ने नाम बदलकर तुर्की रख दिया। अब तुर्की के राष्ट्रपति ने पुराना ऐतिहासिक नाम इस्तेमाल करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि तुर्की का मतलब कैंब्रिज डिक्शनरी में मूर्ख व्यक्ति होता है। इसलिए इसे बदलना जरूरी है। समाचारपत्र ने कहा है कि यूरोपीय शक्तियों ने इस्लाम की एकता को खंडित करने के लिए जब पहले विश्वयुद्ध के बाद उस्मानिया साम्राज्य से समझौता किया तो इस साम्राज्य को दर्जनों देशों में बदल दिया।

इस बात की भी चर्चा है कि तुर्की और यूरोप के देशों के बीच जो समझौते हुए थे उनकी अवधि 100 वर्ष के बाद अगले वर्ष समाप्त हो रही है। इसके नतीजे के तौर पर तुर्की को अपने

क्षेत्र में तेल निकालने और अपने समुद्र से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त मक्का और मदीना भी सऊदी सरकार की बजाय तुर्की के नियंत्रण में आ जाएंगे। अंग्रेजों ने मुसलमानों को कमजोर करने के लिए जो दो दर्जन से अधिक नए देश बनाए थे, उनमें अपनी कठपुतलियों को गद्दियों पर बैठाया था। इस समझौते के तहत हिजाज का क्षेत्र सऊदी सरकार के हवाले किया गया था और उसे मक्का और मदीना का संरक्षक घोषित किया गया था। तुर्की के इस फैसले के कारण सऊदी सरकार व तुर्की के बीच मक्का और मदीना को लेकर नया तनाव पैदा होने की संभावना है।

ईरान के गुप्तचर संगठन के प्रमुख की रहस्यमयी मौत

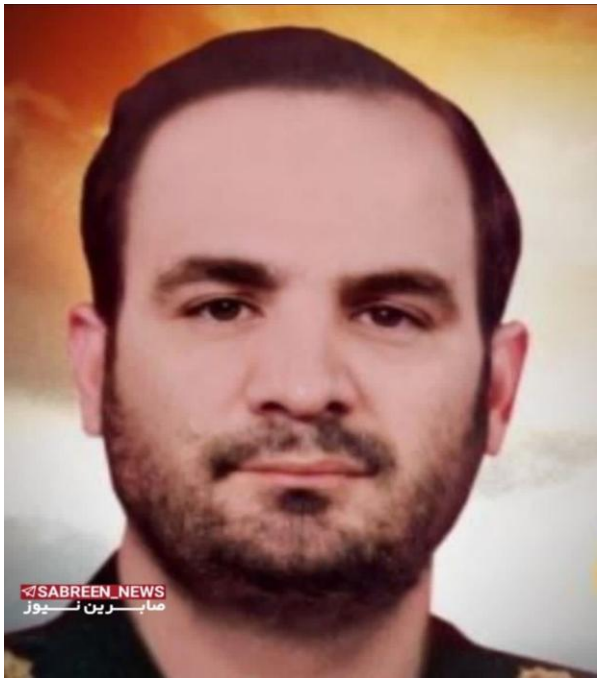

रोजनामा सहारा (4 जून) के अनुसार ईरान के अंतरराष्ट्रीय चैनल ने यह दावा किया है कि ईरान की मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब की गुप्तचर शाखा कुद्स फोर्स के प्रमुख अलो इस्माइलजादेह रहस्यमय ढंग से मारे गए हैं। कहा जाता है कि उनकी मौत अपने घर की छत से नीचे गिरने के कारण हुई है। बताया जाता है कि गत कुछ दिनों से वे अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और घरेलू तनाव के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। जबकि मीडिया का एक हिस्सा इस हत्या के पीछे इजरायली गुप्तचर संगठन मोसाद का हाथ बता रहा है। इजरायल ने अपने सभी नागरिकों को यह निर्देश दिया है कि वे ईरान और तुकी की यात्रा न करें, क्योंकि उनके खिलाफ इन देशों के गुप्तचर संगठन बदले की कोई कार्रवाई कर सकते हैं।

बताया जाता है कि पिछले महीने तेहरान में ईरानी गुप्तचर संगठन के एक उच्चाधिकारी कर्नल सैयद खोदाई की उनकी आवास के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ईरानी पासदारान-ए-इंकलाब के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने पासदारान-ए-इंकलाब की अधिकृत वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा है कि इस हत्या क पीछे यहूदियों का हाथ है और हम

यहूदियों से अपने शहीद की शहादत का हर कीमत पर बदला लेंगे। दुश्मन का व्हाइट हाउस और तेल अवीव की गलियों तक पीछा किया जाएगा। बताया जाता है कि 22 मई को कर्नल खोदाई की हत्या पूर्वी तेहरान में उनकी आवास के बाहर दो मोटर साइकिल सवारों ने की थी। इससे पूर्व ईरान के कम-से-कम चार सर्वोच्च वैज्ञानिकों की हत्या मोसाद कर चुका है। इसका कारण यह है कि इजरायल इस बात के खिलाफ है कि ईरान परमाणु अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण करे। इजरायल के दबाव पर ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे।

रोजनामा सहारा (29 मई) के अनुसार ईरान के सूबा सिस्तान में एक उच्चाधिकारी अब्बास राहंजाम की हत्या कर दी गई है। उसे ईरानी गुप्तचर विभाग का एक उच्चाधिकारी बताया जाता है। बताया जाता है कि यह उच्चाधिकारी अपने परिवार के साथ जब घर लौट रहा था तो उसे गोली मार दी गई। गौरतलब है कि नवंबर 2020 में ईरान के परमाणु कमीशन के प्रमुख मोहसिन फखरीजादह को इजरायल के गुप्तचर संगठन मोसाद ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद इजरायल सरकार ने ईरानी जासूसों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया था, जिन पर यह आरोप लगाया गया था कि वे इजरायल की गुप्तचर सूचनाएं ईरान को उपलब्ध कराते हैं। इनमें तीन इजरायली और शेष ईरानी नागरिक शामिल थे।

मुसलमान सिर्फ एक विवाह करें

इंकलाब (30 मई) के अनुसार विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षा संस्थान जामिया अल-अजहर के प्रमुख शेख डॉ. अहमद अल-तयब ने यह निर्देश जारी किया है कि मुसलमानों को जब तक उनकी पहली पत्नी जिंदा हो दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरी शादी बीबी और बच्चों पर अत्याचार का कारण बनती है। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस्लाम में एक साथ चार निकाह से संबंधित जिस आयत का उल्लेख किया जाता है उसकी व्याख्या गलत की जाती है। इस्लाम ने कभी भी एक से अधिक विवाह करने की अनुमति नहीं दी। शरिया में भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि कोई मुसलमान अपनी पत्नी से अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता। शरिया के इस स्पष्ट निर्देश को आम तौर पर लोग

नजरअंदाज कर देते हैं। इस्लाम में एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी को न तो हराम करार दे रहा हूं और न ही उस पर कानूनी पतिबंध लगाने की मांग कर रहा हूं, मगर यह साफ है कि शरिया में मुसलमान पुरुषों को जो अधिकार दिया गया है उसका मुसलमान गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पैगम्बर ने इस बात का भी स्पष्ट आदेश दिया है कि प्रत्येक पुरुष को अपनी सभी पत्नियों और उनकी औलाद के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है उसे दूसरा विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बदले हुए हालात में मुसलमान पुरुषों को शरा के निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए और दूसरी शादी करने से परहेज करना चाहिए।

अन्य

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए कानून

रोजनामा सहारा (23 मई) के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के साथ-साथ जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन और धर्मांतरण पर पाबंदी लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से लोग अवैध रूप से उत्तराखंड में आकर जनसंख्या के अनुपात को बदल रहे हैं। सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है। उन्होंने बताया कि उनके राज्य में रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध घुसपैठ के बारे में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी उच्चस्तरीय जांच की जा रही है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि राज्य में हाल ही में भारी संख्या में दरगाहों और मस्जिदों का निर्माण किया गया है। यह निर्माण ऐसे क्षेत्रों में भी हुआ है जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या नहीं है।

तूफान से जामा मस्जिद को क्षति

इंकलाब (31 मई) के अनुसार दिल्ली में आए जबर्दस्त तूफान के कारण ऐतिहासिक जामा मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचा है। मस्जिद के बड़े गुंबद पर लगा कलश गिर गया और इसके साथ कई बड़े-बड़े पत्थर भी टूटकर गिरे, जिसके कारण कई लोग जख्मी हो गए। यह कलश शाहजहां ने इस मस्जिद पर लगवाया था। इस घटना के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह और नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के अधिकारियों ने भी मस्जिद का दौरा किया। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि इसकी मरम्मत करवाई जाएगी। समस्या यह है कि जामा मस्जिद भारतीय पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए कानूनी तौर पर सरकार उसकी मरम्मत नहीं करवा सकती। दिल्ली के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत सरकार इस मस्जिद की मरम्मत करवाती रही है, मगर अब जो सरकार सत्तारूढ़ है उसे इस मस्जिद के रखरखाव में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक समारोह के संरक्षण के लिए धनराशि प्रदान करने के लिए आगे आएं।

ओसामा बिन लादेन का चित्र कार्यालय में लगाने वाला अधिकारी निलंबित

औरंगाबाद टाइम्स (3 जून) के अनुसार उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी को अपने कार्यालय में आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगाने पर निलंबित कर दिया गया है। जिस अधिकारी को निलंबित किया गया है उसका नाम रवींद्र प्रकाश गौतम बताया जाता है। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला गंभीर है, इसलिए सरकार ने इस संदर्भ में उचित कार्रवाई की है। जबकि गौतम ने कहा है कि 'मैं ओसामा बिन लादेन को अपना आदर्श मानता हूं। वे दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर थे। उनकी तस्वीर की मेरे पास कई कॉपियां हैं और मैं उसे दोबारा लगवाऊंगा।'

श्रीलंका के मुसलमान हज नहीं करेंगे

सियासत (3 जून) के अनुसार आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका के मुसलमानों ने इस वर्ष हज पर न जाने की घोषणा की है। हज टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रमुख रिजमी रेयाल ने कहा है कि देश के आर्थिक संकट को देखते हुए श्रीलंका के मुसलमानों ने यह फैसला किया है। गौरतलब है कि सऊदी अरब सरकार ने इस वर्ष के लिए श्रीलंका के डेढ़ हजार मुसलमानों को हज करने की अनुमति दी थी।

आर्य समाज का विवाह प्रमाणपत्र गैरकानूनी

सहाफत (1 जून) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने आर्य समाज द्वारा जारी किए जाने वाले विवाह प्रमाणपत्र को अवैध घोषित कर दिया गया है। ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश की एक अल्पव्यस्क लड़की के अपहरण और बलात्कार के केस में दिया। लड़की के परिवारजनों ने यह मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी अल्पव्यस्क लड़की को एक लड़के ने अपहरण कर लिया है। जबकि लड़के का कहना था कि लड़की व्यस्क है आर उसने उससे आर्य समाज मंदिर में शादी की है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने कहा है कि विवाह का प्रमाणपत्र जारी करना आर्य समाज का काम नहीं है। एक अन्य समाचार के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में आर्य समाज द्वारा जारी विवाह के प्रमाणपत्रों की जांच की जाए। इस मामले में सरकार को कई तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

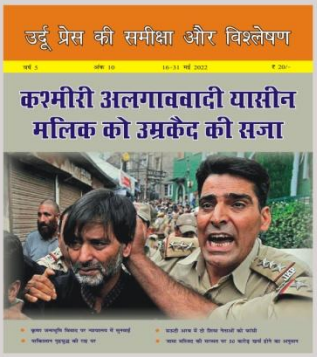

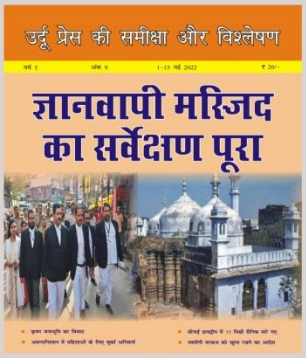

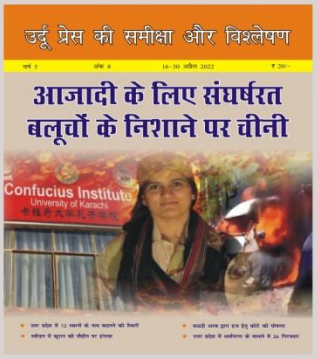

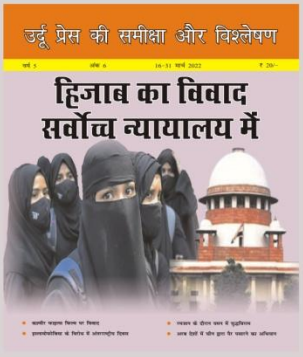

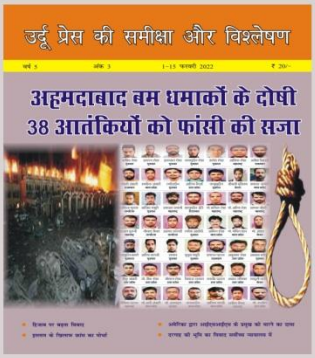

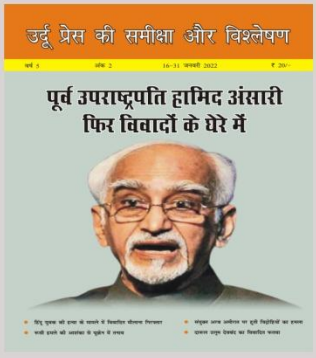

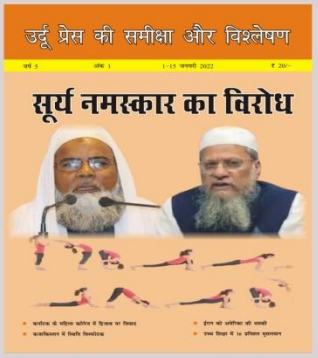

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपमेव जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in